i"BHkfe lac/kh
nLrkost h lpuk

vVkuh tujy ¼egkU;k;oknh½ ea=ky;

26 अप्रैल 2006

vkVfj;k dh ekuokf/kdkj i.kkyh dk etcr djuk

वर्तमान मानवाधिकार प्रणाली, जिसमें ओंटेरियो मानवाधिकार आयोग और ओंटेरियो मानवाधिकार न्यायाधिकरण शामिल हैं, सन् 1962 से लागू है, जब इस प्रांत ने कनाडा का पहला मानवाधिकार कोड अधिनियमित किया था। इस कोड की स्थापना कार्यस्थल पर भेदभाव और उत्पीड़न रोकने, आवास–स्थल में सामान, सेवाओं और सुविधाओं की सुरक्षा के लिए की गई थी।

मौजूदा मानवाधिकार प्रणाली, ओंटेरियो मानवाधिकार आयोग और ओंटेरियो मानवाधिकार न्यायाधिकरण सहित 1962 से समयानुरूप रही है, जब इस प्रांत ने कनाडा की पहली मानवाधिकार संहिता लागू की थी। यह संहिता कार्यस्थल और आवास स्थान, माल, सेवाओं और सुविधा केंद्रों में भेदभाव और उत्पीड़न रोकने के लिए स्थापना की गई थी।

ekuokf/kdkj i.kkyh d vk/kfudhdj.k e vkVfj;k dk urRo

मैकगुंटी सरकार ने विधान का प्रस्ताव किया है जो, यदि पारित हो जाता है, ओंटेरियो की 40 वर्ष पुरानी मानवाधिकार प्रणाली को आधुनिक बनाएगा और मजबूती प्रदान करेगा, ताकि यह शिकायतों को अधिक शीघ्रता और प्रभावी ढंग से निपटा सके और आधुनिक मानवाधिकार मामलों में बेहतर प्रतिक्रिया दे सके।

ओंटेरियो में मानवाधिकार सुधार एक दशक से अधिक समय से चर्चा और विचार–विमर्श के विषय रहे हैं। पिछले वर्ष से, अटॉर्नी जनरल मंत्रालय ने अनेक समुदायों और मानवाधिकार समूहों के साथ विचार–विमर्श किया है। प्रस्तावित सुधार, जो कॉर्निस रिपोर्ट सहित कई रिपोर्टों की सिफारिशों के अनुरूप हैं, इस प्रांत के लोगों और उन्नत मानवाधिकारों हेतु अपनी सेवा में सुधार करेंगे।

1992 में, अधिवक्ता और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित मानवाधिकार विशेषज्ञ, मैरी कॉर्निस, द्वारा कॉर्निस रिपोर्ट में, ओंटेरियो मानवाधिकार संहिता के अंतर्गत मानवाधिकार प्रवर्तन प्रक्रियाओं की समीक्षा की गई। रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि शिकायतकर्त्ताओं को सीधे मानवाधिकार न्यायाधिकरण में दावे दाखिल करने की अनुमति होनी चाहिए। आयोग का प्राथमिक कार्य शिक्षा और अनुसंधान के साथ–साथ क्रमबद्ध भेदभाव से निपटना होगा।

प्रस्तावित मानवाधिकार प्रणाली का नया मॉडल इन सिफारिशों का पालन करता है और निम्न द्वारा भेदभाव से निपटेगाः

- भेदभाव निवारण के लिए, ओंटेरियो मानवाधिकार आयोग की कार्यप्रणाली को सक्रिय उपायों जैसे शिक्षा, लोकसलाह, अनुसंधान, विश्लेषण और प्रोत्साहन पर ध्यान केंद्रित करना। आयोग उन क्रमबद्ध मामलों जिनका समुदायों और समूहों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, पर ध्यान देने और उन्हें सुलझाने के लिए कार्य करेगा ।

- ओएचआरसी (OHRC) के अंतर्गत दो नए सचिवालय, एक जातिवाद–विरोधी सचिवालय और एक अशक्तता अधिकार सचिवालय, स्थापित करना।

- ओंटेरियो के मानवाधिकार न्यायाधिकरण को सीधे आवेदन किए जाने सहित अधिक खुली, सुगम और तीव्र शिकायत निवारण प्रक्रिया लागू करना। इसकी अपने मामलों के भार से कुशल और प्रभावी ढंग से निपटने की अपनी पद्धति और प्रक्रिया निर्धारित करने तथा वैकल्पिक विवाद समाधान क्रियाविधि उपलब्ध कराने के लिए नयायाधिकरण की वैधानिक शक्तियाँ बढ़ानी होंगी।

- नया मानवाधिकार कानूनी सहायता केंद्र बनाना।

vkVfj;k ekuokf/kdkj vk;kx dh orZeku Hkwfedk

मैकगुन्टी सरकार ने नंवबर 2005 में, बारबरा हाल को ओंटेरियो मानवाधिकार आयोग का मुख्य आयुक्त नियुक्त किया था।

यह आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी है जो अटॉर्नी जनरल के माध्यम से जनता के प्रति जवाबदेह है। आयोग की मुख्य भूमिका शिकायतों को प्राप्त और उनकी जांच करना है। आयोग के समक्ष प्रतिवर्ष दाखिल मामलों की संख्या लगभग 2,500 होती है। पार्टियों से साक्षात्कार और निजी तथ्य–जानकारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद, आयोग यह निर्णय लेता है कि मामले को ओंटेरियो मानवाधिकार न्यायाधिकरण से पहले सुनवाई के लिए भेजा जाए या नहीं। इसमें पांच वर्ष तक लग सकते हैं, और इस दौरान, आवेदक को कोई कानूनी सहायता प्राप्त नही होगी।

आयोग ने महत्वपूर्ण मानवाधिकार मामलों पर अपनी कार्यनीति, अनुसंधान और दिशा–निर्देशों के विकास में अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई है। हाल के प्रकाशनों में जातिगत प्रारूप, आयु भेदभाव, अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर रिपोर्ट तैयार करना और रेस्टोरेंट श्रृंखला का सुगमता से अंकेक्षण करना शामिल है।

vkVfj;k d: ekuokf/kdkj U;k;kf/kdj.k dh orZeku Hkwfedk

मैकगुंटी सरकार ने अप्रैल 2005 में, प्रतिष्ठित मानवाधिकार अधिवक्ता, माइकल गोथील, को ओंटेरियो मानवाधिकार न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया था।

यह न्यायाधिकरण एक स्वतंत्र, अर्द्ध–न्यायायिक निकाय है, जो कोड के अंतर्गत भेदभाव और उत्पीड़न संबंधी शिकायतों की सुनवाई करता और निर्णय लेता है। यह केवल आयोग द्वारा भेजे गए शिकायतों को ही सुन सकता है। यह शिकायतों की समीक्षा और उन पर निर्णय लेने के प्रति उत्तरदायी है। आयोग, न्यायाधिकरण को सालाना लगभग 100 मामले भेजता है।

वर्तमान में, यह उन मामलों के लिए चार से पांच वर्षों तक का समय लेता है, जो समाधान के लिए पूरी प्रक्रिया से गुजरते हैं। इस प्रक्रिया में आगत मामला, जांच के लिए कार्य सौंपना, जांच, निर्धारण संबंधी विचार–विमर्श, ख़ारिज करने अथवा न्यायाधिकरण को भेजने का निर्णय, न्यायाधिकरण में सुनवाई और अंतिम निर्णय लेना शामिल हैं। कई बार आयोग और न्यायाधिकरण में प्रणाली में प्रतिलिपिकरण के कारण देरी होती है।

izLrkfor u;k vkVfj;k ekuokf/kdkj vk;kx

प्रस्तावित मानवाधिकार संहिता संशोधन अधिनियम, 2006 के अंतर्गत, आयोग का कार्य ओंटेरियो में भेदभाव से क्रमबद्ध ढंग में निपटने के लिए सक्रिय उपायों जैसे लोकशिक्षा, प्रोत्साहन, लोकसलाह, अनुसंधान और विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

आयोग स्वयं की ओर से न्यायाधिकरण के समक्ष शिकायत दाखिल करने और अन्य शिकायतों जहाँ क्रमबद्ध मामले लोकहित को प्रभावित करते हैं, में हस्तक्षेप करने की सक्षमता भी बनाए रखेगा।

आयोग के अंतर्गत एक जातिवाद–विरोधी सचिवालय और एक अशक्तता अधिकार सचिवालय स्थापित किया जायगा।

vkVfj;k dk izLrkfor u;k ekuokf/kdkj U;k;kf/kdj.k

न्यायाधिकरण में सीधे आवेदन दाखिल किए जाने सहित नई शिकायत प्रक्रिया लागू की जाएगी। न्यायाधिकरण को विधान विवादों के निष्पक्ष, कुशल और प्रभावी ढंग से सुलझाने के लिए इसकी अपनी पद्धति और प्रक्रिया निर्धारित करने तथा मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए नवीनतम वैधानिक शक्तियाँ प्रदान करेगा।

प्रस्तावित विधान के अंतर्गत, यह न्यायाधिकरण मामलों की जांच, तथ्य एकत्रित और मध्यस्थता का आयोजन कर सकेगा। न्यायाधिकरण एक खुली और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत प्रमाण निर्धारण करेगा जिसमें पार्टियां सीधे भाग ले सकेंगी। न्यायाधिकरण के पास यह सुनिश्चित करने की क्षमता होगी कि समस्त संबंधित प्रमाण इसके समक्ष हैं, और पार्टियों को नियत समय–सीमा के भीतर यह जानकारी उपलब्ध कराने के लिए बाध्य करने में सक्षम होगा।

u;k ekuokf/kdkj dkuuh lgk;rk dsUnz

प्रस्तावित मॉडल में एक नया मानवाधिकार कानूनी सहायता केंद्र भी शामिल होगा जो न्यायाधिकरण से पहले सहायता प्राप्त करने के इच्छुक लोगों को जानकारी, समर्थन, सलाह, सहायता और कानूनी प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराएगा।

vxyk dne

अटॉर्नी जनरल मंत्रालय आयोग, न्यायाधिकरण और कानूनी सहायता सेवाओं के लिए नई प्रक्रियाओं पर सलाह प्रदान करने के लिए एक कार्यान्वयन परामर्श समिति का गठन करेगा। इस समिति के सदस्यों में आयोग, न्यायाधिकरण, सामुदायिक समूहों और कानून, श्रम तथा व्यापार संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

- 30 -

संपर्क सूत्रः
ब्रेनडन क्रॉले (Brendan Crawley)
अटॉर्नी जनरल मंत्रालय (Ministry of the Attorney General)
(416) 326–2210

www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca

यह दस्तावेज www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca पर 14 भाषाओं में उपलब्ध हैं।

सामान्य टेलीफोन पूछताछः 416–326–2220 अथवा 1–800–518–7901

दृष्टिहीन व्यक्ति इस दस्तावेज का मूल पाठ सुनने के लिए
उपरोक्त फोन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं

टीटीवाईः 416–326–4012